भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 85

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/ 29 आषाढ़, 1948 (शक)

ईपीएस - 1995 के तहत उच्च पेंशन लाभों का कार्यान्वयन

†85. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के सुनील कुमार (2022) मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पात्र कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन लाभों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में उच्च पेंशन लाभों के एकसमान कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 18.01.2025 का परिपत्र जारी किया गया है और यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त परिपत्र के कार्यान्वयन के संबंध में 'नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन्स' से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.11.2022 के निर्णय में निहित निदेशों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कार्रवाई की है। पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने हेतु एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी।

जी हाँ। दिनांक 18.01.2025 के परिपत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, समान रूप से कार्यान्वयन सुगम बनाने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह स्पष्ट किया गया था कि छूट प्राप्त स्थापनों के लिए उच्च पेंशन लाभों की पात्रता छूट प्राप्त स्थापन के उन मौजूदा न्यास नियमों के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो दिनांक 04.11.2022 के निर्णय से पहले लागू थे। इसके अलावा, यदि सुनील कुमार मामले में दिनांक 04.11.2022 के निर्णय के पश्चात न्यास नियमों में संशोधन किया जाता है, तो ऐसे न्यासों के सदस्यों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जा सकता है।
